भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2275

शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पुरी में और उसके आसपास ग्रामीण वाणिज्य को बढ़ावा देना

2275. श्री शुभाशीष खुंटिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुरी में और उसके आसपास स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प, हथकरघा एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए कोई केंद्रीय पहल की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) केंद्रीय सहायता से स्थापित किए गए ग्रामीण वाणिज्य केंद्रों, शिल्पकार बाजारों तथा पर्यटन से संबद्ध विपणन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यटन मूल्य श्रृंखला में स्थानीय शिल्पकारों और ग्रामीण उत्पादकों की बाजार तक पहुँच का कोई आकलन किया गया है, यदि हाँ, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) पुरी में पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण वाणिज्य तथा स्थानीय मूल्य संवर्धन को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है, और यदि कोई उपाय प्रस्तावित नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): केंद्र सरकार ने ग्रामीण उद्यमिता, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), कारीगरों और एमएसएमई को उनके उत्पादों के विपणन और बिक्री को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की खरीद एवं विपणन स्कीम (पीएमएस) पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की बाजार पहुंच को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करती है, जिसमें हस्तशिल्प, हथकरघा आधारित उत्पादों, पारंपरिक तथा ग्रामीण उत्पादों के विनिर्माण में संलग्न सूक्ष्म और लघु उद्यम शामिल हैं। यह स्कीम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा संचालित घरेलू व्यापार मेले और प्रदर्शनियों, विक्रेता

विकास कार्यक्रम (वीडीपी), गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम), ई-कॉमर्स, निर्यात, पैकेजिंग, बारकोड तथा अन्य स्कीमों को अपनाने के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम में भागीदारी में सहायता प्रदान करती है। यह कार्यक्रम देशभर में कार्यान्वित किए जाते हैं, जिनमें ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं, जो स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर एमएसएमई विकास और सुविधाप्रदाता कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। इस स्कीम के तहत, ओडिशा के पुरी सहित लाभार्थियों की संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

ii. वस्त्र मंत्रालय, ओडिशा (पुरी) सहित देशभर में हथरकघा क्षेत्र के समग्र विकास और हथकरघा कामगारों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय हथकरघा कार्यक्रम (एनएचडीपी) तथा कच्चा माल आपूर्ति स्कीम (आरएमएसएस) का प्रशासन कर रहा है।

उपर्युक्त स्कीमों के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/कामगारों को कच्चे माल, उन्नत करघों और सहायक उपकरणों की खरीद, सोलर लाइट इकाइयां, वर्क शेड के निर्माण, कौशल, उत्पाद विविधता तथा डिजाइन नवप्रयोग, तकनीकी एवं सामान्य अवसंरचना, भारतीय हथरकघा ब्रांड (आईएचबी), हथकरघा मार्क (एचएलएम) और जीआई टैग के जरिए प्रचार और ब्रांड विकास, ई-कॉमर्स सुविधा, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा बुनकर मुद्रा स्कीम और सामाजिक सुरक्षा आदि के तहत रियायती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने कौशल विकास, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने, कारीगरों के कल्याण और बाजार सहायता के माध्यम से ओडिशा बुनाई विरासत की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। समर्थ जैसी स्कीमें, राज्य स्तरीय शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम, रेशम उत्पादन विकास पहलें और ओडीओपी कार्यक्रम सामूहिक रूप से पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने में योगदान करती हैं, जबकि युवा पीढ़ी को एक व्यवहार्य सांस्कृतिक और आर्थिक पेशे के रूप में बुनाई के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

आईएचबी को उच्च गुणवत्ता, प्रामाणिक पारंपरिक डिजाइनों के साथ विशिष्ट हथकरघा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसका वर्ष 2015 में पर्यावरण पर जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट था। इसकी मुख्य विशेषताओं में 100 प्रतिशत हथकरघा उत्पाद और 100 प्रतिशत प्राकृतिक फाइबर से निर्मित, पक्के गाढ़े रंग, त्वचा अनुकूल डाई और सामाजिक ताने-बाने का अनुपालन शामिल हैं।

निर्यात संवर्धन के लिए ओडिशा के जीआई उत्पादों को वर्ष 2010 में पंजीकृत किया गया है। ओडिशा के हथकरघा निर्यातक/बुनकर हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के जरिए आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों/मेलों में भाग लेते हैं, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, क्रेता-विक्रेता बैठक, रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक, बिग टिकट समारोह, भारत टेक्स में भाग लेते हैं।

वस्त्र मंत्रालय, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) के माध्यम से, हथकरघा बुनकरों को सीधे बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए indiahandmade.com, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को संचालित करता है, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है और लाभ मार्जिन में सुधार होता है।

iii. ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) है, जो स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) जिसमें ग्रामीण उद्यमी और कारीगर शामिल हैं, को अपने उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए ई-कॉमर्स को अपनाने में मदद कर रही है। डीएवाई-एनआरएलएम ने एसएचजी के उत्पादों की बिक्री के लिए एक समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई-सरस की स्थापना की है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन और लॉजिस्टिक्स के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है।

iv. एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से कम से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करना है ताकि सभी क्षेत्रों में समग्र विकास को सक्षम बनाया जा सके। पुरी जिले के लिए चिह्नित ओडीओपी उत्पाद हस्तशिल्प (पट्टचित्र) और समुद्री उत्पाद हैं। ओडीओपी उत्पादों को प्रोत्साहित करने और उनकी दृश्यता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी को सुगम बनाना, विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से नियमित क्षमता निर्माण पहलें; गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम)-ओडीओपी बाजार हेतु ई-कॉमर्स ऑन-बोर्डिंग अभियान शामिल हैं। ओडीओपी उत्पादों को विभिन्न द्विपक्षीय/बहुपक्षीय बैठकों के दौरान आधिकारिक उपहार भेंट करने के रूप में भी शामिल किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी दृश्यता बढ़ रही है। व्यय विभाग की स्कीम, पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष

सहायता (एसएएससीआई) के तहत, विधानमण्डलों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देशभर से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) उत्पादों, भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए पीएम एकता मॉल (यूनिटी मॉल) की स्थापना के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 200 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

v. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पहल की शुरुआत की है। ओएनडीसी एक निष्पक्ष, अंतर-प्रचालन योग्य और ओपन नेटवर्क है, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित छोटे विक्रेताओं को किसी स्वामित्व वाले एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निर्भरता के बिना डिजिटल कॉमर्स में भाग लेने में सक्षम बनाता है। यह नेटवर्क प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करता है, भागीदारी लागत को घटाता है और देशभर के छोटे उत्पादकों और स्थानीय विक्रेताओं के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करता है। ओएनडीसी खरीदार-पक्ष एप्लीकेशन और विक्रेता-पक्ष सेवा प्रदाताओं के रूप में ग्रामीण विक्रेताओं और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को शामिल करने में सक्षम बनाता है, जिससे विभिन्न उपभोक्ता एप्लीकेशन में उनके उत्पादों की खोज करने की क्षमता में सुधार होता है। ओएनडीसी, विक्रेताओं को ऑनबोर्ड करने की सुविधा प्रदान करने और नेटवर्क पर उपलब्ध लॉजिस्टिक्स और पूर्ति करने वाले भागीदारों के साथ उनके संपर्क साधने के उद्देश्य से सामान्य सुविधा केंद्र (सीएससी), सिडबी, नाबार्ड और राज्य एजेंसियों जैसे ईकोसिस्टम भागीदारों के साथ भी मिलकर कार्य करता है।

vi. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त "एमएसएमई उत्पादकता बढ़ाना और उसमें तेजी लाना (रैंप)" कार्यक्रम के तहत एक नई पहल, एमएसएमई टीम (व्यापार क्षमता एवं विपणन) पहल शुरू की है, ताकि इससे अखिल भारतीय स्तर पर एमएसएमई को, ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने बाजार का विस्तार करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। टीम स्कीम, एमएसएमई संचालन को डिजिटाइज करती है और एमएसएमई को ऑनलाइन स्टोरफ्रंट, डिजिटल भुगतान और लॉजिस्टिक्स

के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ओएनडीसी तक पहुंच प्रदान करके ई-कॉमर्स को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है; और इस प्रकार अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाने की आवश्यकता के बिना निर्बाध ऑनबोर्डिंग और कैटलॉगिंग को सक्षम बनाती है। टीम पोर्टल का उपयोग एमएसएमई को पंजीकृत करने, व्यावसायिक प्रोफाइल को कैप्चर करने और उन्हें विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों (एसएनपी) से जोड़ने और साथ ही डिजिटल बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई की क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है।

अनुबंध-I

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2275 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमएस स्कीम के घटक 5(I) (क) के तहत ओडिशा के लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**घरेलू व्यापार मेलों की संख्या**	**ओडिशा में आयोजित घरेलू व्यापार मेलों की संख्या**	**संपूर्ण भारत में लाभार्थियों की कुल संख्या**	**ओडिशा में लाभार्थियों की कुल संख्या**	**पुरी जिले में लाभार्थियों की संख्या**
2023-24	256	18	11034	774	31
2024-25	255	17	9869	662	101
2025-26	276	16	11647	844	142
2026-27 (दिनांक 27.07.2026 की स्थिति के अनुसार)	102	3	1721	94	15
